भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1356

जिसका उत्तर मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन 1946 (शक) को दिया जाना है

एजेंसियों द्वारा जब्त की गई ऐसी परिसंपत्तियां जिनकी बिक्री नहीं की गई

1356. डा. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों द्वारा जब्त की गई उन परिसंपत्तियों के संबंध में क्या कार्रवाई की है जिनकी बिक्री नहीं की गई है और क्या इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट आई है और समय के साथ इन परिसंपत्तियों को प्राप्त करने में इन एजेंसियों को कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इन परिसंपत्तियों की त्वरित बिक्री की अनुमति देने के लिए कानूनी परिवर्तनों पर विचार नहीं करने के क्या कारण हैं, जिससे राजस्व उत्पन्न हो सकता है, और यदि कानूनी कार्यवाही सरकार के पक्ष में नहीं होती है, तो क्या प्रभावित पक्ष को ब्याज सहित धनराशि वापस की जा सकती है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क): सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय और आयकर विभाग जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा जब्त की गई संपत्तियों के निपटान को विनियमित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण (न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई कुर्क या जब्त संपत्तियों का कब्ज़ा लेना) नियम, 2013 के प्रावधानों में कुछ प्रकार की पुष्टि की गई कुर्क/जब्त संपत्तियों के निपटान के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं जो शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन हैं या ऐसी संपत्तियों के रखरखाव का खर्च इसके मूल्य से अधिक होने की संभावना है, जिसमें संपत्ति का परिवहन का तरीका भी शामिल है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उचित मामलों में इन प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 (1ए) केंद्र सरकार को माल या माल के वर्ग को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत करती है, जिसमें किसी भी माल की खराब होने वाली या खतरनाक प्रकृति, समय बीतने के साथ माल के मूल्य में गिरावट, माल के लिए भंडारण स्थान की कमी या जब्ती के बाद निपटाए जाने वाले किसी भी अन्य प्रासंगिक कारण शामिल हैं। केंद्र सरकार ने धारा 110 (1ए) में विधायिका द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुल 21 प्रकार के सामानों को अधिसूचित किया था, जिन्हें जब्ती के तुरंत बाद निपटाया जा सकता है, जिसमें सोना और सोने के आभूषण, मुद्रा (भारतीय और विदेशी), इलेक्ट्रॉनिक सामान, सेलुलर फोन, वाहन, शराब आदि शामिल हैं [अधिसूचना संख्या 31/86-सीयूएस]। तदनुसार, निपटान मैनुअल, 2019 के साथ-साथ सीबीआईसी की धारा 110(1बी) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए वाहन सहित अधिसूचित माल का निपटान जब्ती के तुरंत बाद किया जाता है। एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52(ए) में भी ऐसा ही प्रावधान है, जहां केंद्र सरकार कुछ स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या वाहनों को उनकी खतरनाक प्रकृति, चोरी की भेद्यता, प्रतिस्थापन, उनके शीघ्र निपटान के लिए उचित भंडारण स्थान के नहीं होने के कारण अधिसूचित कर सकती है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110ए के अनुसार, निर्णय लंबित रहने तक जब्त किए गए माल, दस्तावेजों और सामानो को अनंतिम रूप से छोड़ने के संबंध में प्रावधान हैं, बशर्ते कि निर्णय देने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार बांड और प्रतिभूति ली जाए। धारा 28बीए में उस व्यक्ति की संपत्ति की अनंतिम कुर्की का प्रावधान है, जिस पर धारा 28 की उपधारा (1) या उपधारा (4) या धारा 28एएए की उपधारा (3) या धारा 28बी की उपधारा (2) के तहत नोटिस दिया गया है, ताकि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से राजस्व के हितों की रक्षा की जा सके। पुष्टीकृत मांगों के संबंध में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 में चल और अचल संपत्तियों को हिरासत में रखने और बेचने का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, आयकर विभाग के पास जब्त की गई संपत्तियों की कुर्की और बिक्री सहित विभिन्न तरीकों से कर बकाया की वसूली के लिए प्रणालियाँ हैं, जो आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी और तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कर वसूली अधिकारियों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, तलाशी के परिणामस्वरूप पाया गया स्टॉक-इन-ट्रेड जब्त नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी खराब होने वाला सामान आमतौर पर जब्त नहीं किया जाता है। सीबीडीटी समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय को कार्यालय ज्ञापन और अन्य प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी करता है ताकि कुर्क/जब्त की गई संपत्तियों की समय पर बिक्री के माध्यम से कर बकाया की वसूली की जा सके।

(ख): मौजूदा प्रावधान की पर्याप्तता को देखते हुए, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****